

**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)**


क्रमांक : सामान्य/2021/

दिनांक : 08.05.2021

**:: आदेश ::**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक सामान्य/2021/25 दिनांक 20.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 09.05.2021 को राजकीय अवकाश में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य आदि के लिए कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए निम्न अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी व मोबाईल नम्बर	पद नाम	दिनांक
01	श्रीमती नीलिमा पंवार 9950045100	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-पूर्व भीलवाड़ा	09.05.2021


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

क्रमांक : सामान्य/2021/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
02. श्रीयुत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक न्यायालय में ही पहुंचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
03. न्यायालय .....
04. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा।
05. सहायक निदेशक, अभियोजन, भीलवाड़ा।
06. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा